बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

संख्या– टी 3/योजना–36/2008– /099 /पटना, दिनांक– 24.04.2025

प्रेषक,

विशेष सचिव,

श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषयः– प्रशिक्षण पुर्नप्रशिक्षण राज्य स्कीम का वित्तीय वर्ष 2025–26 में अवधि विस्तार एवं रू0– 100.00 लाख (रूपये एक करोड़) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार निदेशालय/ क्षेत्रीय कार्यालय/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला एवं एल0डब्लू0ई0 सहित) में कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों को अन्य प्रशिक्षण संस्थानो में प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण प्राप्त करने के निमित वित्तीय वर्ष 2025–2026 में प्रशिक्षण पुर्नप्रशिक्षण राज्य स्कीम का अवधि विस्तार एवं कार्यालय व्यय (13.01) मद मे उपबंधित राशि रू0– 100.00 लाख (रूपये एक करोड़) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के उद्व्यय एवं बजट उपबंध में राशि उपलब्ध है।

3. इस अवधि विस्तार पर व्यय मांग संख्या 26, मुख्य शीर्ष 2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 प्रशिक्षण, लघुशीर्ष–003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0103 प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण विपत्र कोड 26–2230–03–003–0103 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–2026 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राज्य स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राज्य स्कीम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, जिन्हे आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जाएगी।

5. यह चालू योजना है।

6. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–टी 3/योजना –36/2008 के पृष्ठ–168/टि0 पर, विभागीय सचिव की संचिका संख्या टी 3/योजना –36/2008 के पृष्ठ–168/टि0 पर एवं प्रारुप में संचिका संख्या टी 3/योजना –36/2008 के पृष्ठ–165/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

24/04/15

(सुनील कुमार यादव)
विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– टी 3/योजना–36/2008– 1099 /पटना, दिनांक– 24.04.2015

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/04/15

विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– टी 3/योजना–36/2008– 1099 /पटना, दिनांक– 24.04.2015

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के आप्त सचिव/ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर श्रम संसाधन विभाग/ निदेशालय बजट शाखा/ निदेशालय लेखा शाखा/ निदेशालय मासिक व्यय शाखा/ निदेशालय प्रशिक्षण शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/04/15

विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग